यूको बैंक UCO BANK

शाखा कार्यालयः श्री गंगानगर (0110)
ई-मेलः srigan@uco.bank.in

परिशिष्ट-IV [देखें, नियम 8(I)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता, यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का संख्यांक 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित (नियम 3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी/बंधककर्ता/जमानती मैसर्स रासावली क्रिएशन्स जरिये प्रोपराइटर श्रीमती राधा रानी, श्री ऋषभदेव पूंछी (गारंटर) एवं श्रीमती राधा रानी पत्नी श्री रमन कुमार पूंछी को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित 14.07.2026 उक्त सूचना-पत्र की दिनांक से 60 दिनों के भीतर रूपये 1,05,29,325.97/- (शब्दों में रूपये एक करोड़ पांच लाख उनतीस हजार तीन सौ पच्चीस एवं पैसे सत्यान्वे मात्र) एवं ऋषभदेव पूंछी को दिनांक 14.07.2026 को नोटिस जारी किया गया जो रू. 15,72,542.68 (शब्दों में रूपये पन्द्रह लाख बहत्तर हजार पांच सौ बियालिस एवं पैसे अड़सठ मात्र) कुल राशि रू. 1,21,01,868.65 (शब्दों में रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख एक हजार आठ सौ अड़सठ एवं पैसे पैंसठ मात्र) दिनांक 14.07.2026 तक व आगे का ब्याज आकस्मिक खर्चे पूर्ण भुगतान होने की दिनांक तक की राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की उपधारा (4) एवं धारा 13 सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पति का सांकेतिक आधिपत्य दिनांक 1 माह अक्टूबर वर्ष 2026 को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार यूको बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा यह बकाया राशि रूपये 1,05,29,325.97/- (शब्दों में रूपये एक करोड़ पांच लाख उनतीस हजार तीन सौ पच्चीस एवं पैसे सत्यान्वे मात्र) एवं रू. 15,72,542.68 (शब्दों में रूपये पन्द्रह लाख बहत्तर हजार पांच सौ बियालिस एवं पैसे अड़सठ मात्र) कुल राशि रू. 1,21,01,868.65 (शब्दों में रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख एक हजार आठ सौ अड़सठ एवं पैसे पैंसठ मात्र) दिनांक 14.07.2026 तक व आगे का ब्याज अन्य प्रभार पूर्ण भुगतान होने की दिनांक तक भुगतान करना होगा।

प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।'

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें प्लाट नं. 1/71 (पुराना नं. 915-ए), आर्य समाज रोड, फाजिल्का, पंजाब में स्थित है। उक्त संपत्ति का क्षेत्रफल 1440 वर्गफुट है तथा यह संपत्ति श्री ऋषभदेव पूंछी के नाम पर है संपत्ति की सीमाएँ: पूर्व: चर्च की भूमि, पश्चिम: अजय नारंग का मकान, उत्तर: श्री संजीव कुमार मक्कड़ का मकान, दक्षिण: आर्य समाज रोड

स्थान: फाजिल्का दिनांक: 01.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी यूको बैंक

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया। उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य तौर पर जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमन के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को, संपत्ति के साथ सौदा न करने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेनदेन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड को नीचे निर्दिष्ट राशि, उसके साथ उस पर ब्याज और नीचे निर्दिष्ट तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	बाध्यताधारी (ओं)/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि के अनुसार राशि	कब्जा तिथि
TCHHL035000010 0226819	श्रीमती नेहा धीमान (उधारकर्ता) और श्री गौतम (सह–उधारकर्ता)	बकाया राशि 06.07.2026 तक रु. 29,99,003/– (उनतीस लाख निन्यानवे हज़ार तीन रुपये मात्र)	01.10.2026

प्रतिभूति संपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण : रुहिल रेजीडेंसी, ब्लॉक–1/टावर नंबर जी–1 कॉलोनी गांव सराय, औरंगाबाद, सेक्टर–3, 3ए , तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा–124507 में स्थित आवासीय फ्लैट/यूनिट नंबर जी–1001, 10वीं मंजिल, जिसका सुपर एरिया 1250 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 731.3 वर्ग फुट है, साथ ही 98.18 वर्ग फुट की एक्सक्लूसिव बालकनी है और इसमें बिक्री विलेख के तहत सभी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

दिनांकः– 06.10.2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः बहादुरगढ़, हरियाणा कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

सार्वजनिक नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095
क्षेत्रीय कार्यालयः जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301
शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 3, भूतल, करतिया कॉलोनी, निकट एसडी कॉलेज, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा–132103

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी **''जहाँ है जैसा है''** तथा **''जो है यही है''** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह- कर्जदार /गारंटर का नाम	दिनांक 13–2 नोटिस एवं मांग राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) भारतीय रुपये में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाते का विवरण
1.	22732100 80000020	1. समसाद पुत्र मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद अली उर्फ मोहम्मद अली जलालपुर, मस्जिद के पास, पानीपत, हरियाणा–132103 2. अख्तरी पत्नी मोहम्मद अली @ मोहम्मदअली उर्फ मोहम्मद अली जलालपुर, मस्जिद के पास, पानीपत, हरियाणा – 132103 इसके अलावाः जलालपुर, पीओ गढ़ी बेसिक, पानीपत, हरियाणा–132103 इसके अलावाः मकान नं. 37, ग्राम जलालपुर, पानीपत, हरियाणा–132103	05.05.2025 रु. 3,31,865/–	14.09.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 4,93,613.69/– (तिथि 04.10.2026)	11.11.2026 को 2:00 बजे अप. पूर्व अनुमति द्वारा	रु. 13,24,000/–	रु. 1,32,400/–	17–11–2026 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.	16–11–2026 को 04:00 बजे अप. तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में संजय प्लेस आगरा शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता नं. 22011013462001 आईएफएससी UJVN0002201 पर भेजी जानी चाहिए। संपर्क व्यक्तिः 1. संजय कुमार – 9813612212 2. आशीष चौधरी– 9875980425

44 वर्ग गज यानी 1 मरला 4 सरसाई 176/3509 में से 1 कनाल 9 मरला की आवासीय भूमि का वह समस्त भाग, खेवट नंबर 48 एम/45 मिन, खतौनी नं. 60, खसरा नं. 25//9मिन(1–9), गांव झांबा, जिला पानीपत, हरियाणा जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाएंः पूर्वः सड़क; पश्चिमः अशोक कुमार गांधी; उत्तरः दुकान नन्हे; दक्षिणः पांडे

नियम एवं शर्तेः–

ई–नीलामी **''जहाँ है जैसे है''** तथा **''जो है यही है''** तथा **''जो कुछ भी है वहीं है''** के आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति पर होने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देश का निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई–नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता – मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति – श्री राजीव पाण्डे (मोबाइल नंबर 8142000030)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर संपत्तियों के विवरण के लिए **https://www.bankauctions.in** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएँ तथा बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankauctions.in** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, हेल्पलाइन नंबर – 8142000062/63/66 सपोर्ट ईमेल आईडीः– **info@bankauctions.in**, नीलामी पोर्टल – **https://www.bankauctions.in** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूत लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो अधोहस्ताक्षरी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें पहले से भुगतान की गई ईएमडी समायोजित की जाएगी तथा बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत 3 महीने से अधिक नहीं, की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावी द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा डिफॉल्टर क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/विफलता (इंटीमेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक–अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी अनुसूची के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारो/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

दिनांकः 06.10.2026, स्थानः: राजस्थान **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक**

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **सांकेतिक कब्जा** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता संख्या **HE01DES00000123420** **1. गौरव कुमार (आवेदक)**, एच. नंबर. 41/5ए, गली नंबर. 30, जय प्रकाश नगर, घोंडा, दिल्ली –110053 **2. प्रदीप गर्ग (सह–आवेदक)**, एच. नंबर. 41/5ए, गली नंबर. 30, जय प्रकाश नगर, घोंडा, दिल्ली–110053 **3. ललिता गर्ग** एच. नंबर. 41/5ए, गली नंबर. 30, जय प्रकाश नगर, घोंडा, दिल्ली –110053 **4. गर्ग इलेक्ट्रिकल्स (इसके स्वामी गौरव कुमार के माध्यम से) (सह–आवेदक)**, 2173/2, भू तल, चाहिन्दरा भागीरथ पैलेस मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली – 110006	**27–04–2026 रु. 1,09,72,243.00** **कब्जा का प्रकार** **सांकेतिक**	संपत्ति संख्या एच–41/5 का भू तल और प्रथम तल, छत के अधिकार के साथ, क्षेत्रफल परिमाप 112 वर्ग गज, खसरा नंबर 643 का अंश, ग्राउंड से आगे तक कॉमन रास्ता/सीढ़ी के साथ, उस पर बनी पूरी संरचना, सभी फिक्सचर और फिटिंग के साथ, गांव घोंडा गुजरां खादर में, एच–ब्लॉक, गली नंबर 30, जय प्रकाश नगर, घोंडा, इलाका शाहदरा, दिल्ली 110053 की आबादी में स्थित है। निम्नानुसार सीमाबद्ध हैः उत्तर – अन्य की संपत्ति दक्षिण – गली 15 फीट, पूर्व – अन्य की संपत्ति, पश्चिम – अन्य की संपत्ति	**रू. 1,10,00,000 /-** **रू. 11,00,000/ -** **रू. 1,00,000/ -**	**29–10–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक** **28–10–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक** **भेंट के निर्धारित समयानुसार**
2.	**ऋण खाता संख्या HE01XBS00000126444)** **1. कानिव टेक प्राइवेट लिमिटेड (इसके निदेशक अनिरुद्ध शर्मा के माध्यम से) (आवेदक)** दुकान संख्या 1, किसान रिटेल डेरी, सेक्टर –85, डीपीएस स्कूल के सामने, गुड़गांव,हरियाणा–122004 **2. अनिरुद्ध शर्मा (सह–आवेदक),** दुकान संख्या 1, किसान रिटेल डेरी, सेक्टर –85, डीपीएस स्कूल के सामने, गुड़गांव, हरियाणा – 122004 **3. अनिरुद्ध शर्मा (सह–आवेदक),** अपार्टमेंट संख्या 1903, टावर 3ए3 (ग्लोरी के नाम से ज्ञात), 18 वां तल, मैप्सको रॉयल विले, सेक्टर –82, गांव सिही, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा–122004 **4. पूनम शर्मा (सह–आवेदक),** अपार्टमेंट संख्या 1903, टावर 3ए3 (ग्लोरी के नाम से ज्ञात), 18 वां तल, मैप्सको रॉयल विले, सेक्टर –82, गांव सिही, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा–122004	**10.4.2026 रु. 1,47,94,125/-** **कब्जा का प्रकार** **सांकेतिक**	आवासीय अपार्टमेंट संख्या 1903, टावर 3ए3 (ग्लोरी के नाम से ज्ञात), 18वां तल, सुपर एरिया 1790 वर्ग फीट (166.29 वर्ग मीटर) और कवर्ड एरिया 1186.26 वर्ग फीट (110.26 वर्ग मीटर), साथ ही 'मैप्सको रॉयल विले' नामक उक्त बिल्डिंग/कॉम्प्लेक्स/प्रोजेक्ट में कवर्ड कार पार्किंग नंबर 261, 261बी, 281 और 281बी, जो उक्त भूमि पर निर्मित है। और ग्रुप हाउसिंग स्कीम का हिस्सा है, जिसका परिमाप 19.362 एकड़ या उसके आस–पास है और यह राजस्व सम्पदा ग्राम सिही, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में सेक्टर–82 में स्थित है।	**रू. 1,42,00,000/-** **रू. 14,20,000/ -** **रू. 1,00,000/-**	**29–10–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक** **28–10–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक** **भेंट के निर्धारित समयानुसार**

ऋणभार

इच्छुक खरीदारों को सूचना दी जाती है कि कर्जदार और सह–कर्जदार द्वारा एसए/380/2026 के माध्यम से दाखिल किया गया वाद माननीय डीआरटी–।।, चंडीगढ़ के समक्ष न्यायनिर्णय हेतु लम्बित है।

1.आईओएन–नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 8124000030), **Ms.procure247** (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल – 9510974587)
2. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया **https://chola-lap.procure247.com/** एवं **https://cholamandalam.com/auction-notices** देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली/एनसीआर, गुरुग्राम हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक : 05–10–2026 चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्रीमती अंजू सिंह पत्नी बृजमोहन सिंह अन्जू सिलाई एवं कढ़ाई सेंटर वाया श्री ब्रिजमोहन सिंह पुत्र राजकुमार सिंह सुंदर नगर फैदीपुर रिंग रोड दुबग्गा काकोरी लखनऊ उ.प्र. 226101 ऋण खाता संख्या **LA11VLLONS000005097761/ AP-10231490**(शाखा : लखनऊ–1)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 370 के मिनजुमला, रकबा 480 वर्ग फीट यानी 44.609 वर्ग मीटर, मल्हपुर वार्ड हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सीमाएँ: पूर्व सदाशिव शुक्ला का मकान, पश्चिम 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर रामनिवास का प्लॉट, दक्षिण भूमि विक्रेता का भाग	मांग सूचना 12–जुलाई–2026 बकाया राशि : रु. 984363/– (रुपये नौ लाख चौरासी हजार तीन सौ तिरेसठ मात्र) 12–जुलाई–2026 तक + 13–जुलाई–2026 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज, लागत और शुल्क	05–10–2026

स्थान : दिल्ली/एनसीआर वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)
किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

IndiaShelter Home Loans इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती गुरजंट सिंह पुत्र श्री हरवैल सिंह श्री/श्रीमती रणजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह श्री/श्रीमती हरविंदर सिंह पुत्र श्री हरवैल सिंह हरविंदर डेरी फार्म वाया श्री हरविंदर सिंह पीपलथा जीद हरियाणा–126116 **HL11CHLONS000005003929/ AP-0891605** (शाखा : जींद)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति परिमाप 00के–9.88एम (299 वर्ग गज), 00के–4.26एम (129 वर्ग गज) माप वाली सम्पत्ति, यानी खेवट खाता नंबर 746–866 के अनुसार कुल सम्पति 21 के 19एम (गैर–मुमकिन) का 7/64 हिस्सा और ००के–5.61एम (170 वर्ग गज) माप वाली सम्पत्ति, यानी खेवट खाता नंबर 1002/1167 के अनुसार कुल सम्पत्ति 22–09एम का 660–54320 हिस्सा (जमाबंदी 2021–2022 और म्यूटेशन नंबर 7718 के अनुसार) यह सम्पत्ति गाँव पिपलाल नरवाना, जिला जींद में स्थित है (मालिक हरविंदर सिंह पिता श्री हलवेल सिंह ट्रांसफर डीड नंबर 5150, तारीख 01.01.2025) सीमाएं –पूर्व : अत्तर सिंह, पश्चिम : सड़क, उत्तर : गुरमीत सिंह, दक्षिण : गली और लखविंदर सिंह।	मांग सूचना 12–जुलाई–2026 बकाया राशि : रु. 13,77,088/– (रुपये तेरह लाख सतहत्तर हजार अठासी मात्र) 10–जुलाई–2026 तक + 12–जुलाई–2026 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज, लागत और शुल्क	05–10–2026

स्थान : जींद वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)
किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

IndiaShelter Home Loans इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती संतोष, श्री/श्रीमती भूपेंद्र सिंह शास्त्री कॉलोनी वार्ड नंबर 31 सोनीपत पुलिस लाइन के पीछे सोनीपत हरियाणा 131001, 31001 हरियाणा ऋण खाता संख्या – **HL11CHLONS000005003929/AP-0891605** (शाखा : सोनीपत)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान जो खेवट नंबर 196 खाता नंबर 261 271 857 मिन 2 14 2002 3 4 20034 4 2004 सोनीपत हरियाणा 131001 में स्थित है, सीमाः – पूर्व– खाली प्लॉट –17'6", पश्चिम– गली – 17'6", उत्तर– पूनम का मकान– 58', दक्षिण– खाली प्लॉट – 58'	मांग सूचना 10–जुलाई–2024 बकाया राशि : रु. 4,90,951/– (केवल चार लाख नब्बे हजार नौ सौ इक्यावन रुपये) 09–जुलाई–2024 तक + 10–जुलाई–2024 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज	05–10–2026
श्री/श्रीमती हेतराम पुत्र बलराम, श्री/श्रीमती शकुंतला पत्नी बलराम, श्री/श्रीमती ओमवती पत्नी दिनेश, श्री/श्रीमती दिनेश पुत्र बलराम, श्री/श्रीमती दिनेश पुत्र दिनेश टूर एंड ट्रैवल्स बकलपुर मथुरा अमर कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281004 (ऋण खाता संख्या :– **HL11SVLONS000005144646/ AP-10327262**) (शाखा : मथुरा–1)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय संपत्ति प्लॉट नंबर 88 और 89 मौजा कालिंदी विहार, आमरे कॉलोनी बाकलपुर तहसील और जिला मथुरा उत्तर प्रदेश– 281004, सीमाः – पूर्व – 20 फीट चौड़ी सड़क और नीरज और हेतराम का मकान, पश्चिम – कलुआ का मकान, उत्तर – खेमचंद का मकान, दक्षिण – गुड्डा का मकान	मांग सूचना 12–जुलाई–2026 बकाया राशि : रु. 1371742/– (केवल तेरह लाख इकहत्तर हजार सात सौ बयालीस रुपये) 10–जुलाई–2026 तक + 11–जुलाई–2026 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज, लागत और शुल्क	01–10–2026

स्थान : दिल्ली/एनसीआर वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)
किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम–8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद ''ईएआरसी'' के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाईनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	कब्जा स्थिति
1	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–468	14541949	रशीद इकारमूदीन (उधारकर्ता) दिलरुबा मोहदुसुफ (सह–उधारकर्ता)	20.05.2026 और रु. 33,76,937.31	01.10.2026	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरणः भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 512 मे से, गांव पाविसदकपुर, लोनी, जिला गाजियाबाद, यूपी, सीमाएंः पूर्वः सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिमः गली 10 फीट चौड़ी, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति							
2	दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–468	1046695	अभिषेक त्रिपाठी (उधारकर्ता)	12.06.2026 और रु. 71,12,782.92	01.10.2026	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरणः फ्लैट नं. एम–417 का समस्त भाग एवं अंश जोकि चौथी मंजिल, मर्करी टॉवर 1500 वर्ग फीट एलियन कोर्ट, जीएच 3/1, सेक्टर सी–3, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102							

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक 01.10.2026 कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

ई–नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल) जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा) में स्थित है और शाखा कार्यालय : ए–1–डी, सेक्टर–16, नोएडा 201301, उ. प्र. में स्थित है, के पास बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जैसाकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी सूचना के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट नं. में "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "बिना किसी उपचार के" आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित संपत्ति/यों का कब्जा ले लिया था। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइटः www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना की तारीख और राशिः	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
श्री सुमित मावी, श्री संजय मावी, श्रीमती पूजा (प्रोस्पेक्ट नं.: IL10617694, IL11027571, IL10591719, IL10822637)	08/05/2026 रु. 61,36,806.44 (इकसठ लाख छत्तीस हजार आठ सौ छह रुपये और चौवालीस पैसे मात्र) **बोली वृद्धि राशिः** रु. 1,00,000.00/– (एक लाख रुपये मात्र)	संपत्ति का संपूर्ण भाग और पार्सल जिसका विवरण निम्नलिखित हैः खसरा नं. 131 – गांव खेड़ा–चौगानपुर – तहसील दादरी – खेड़ा चौगानपुर – देवी मंदिर – गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201306– भारत, क्षेत्रफल (वर्ग फीट में):संपत्ति का प्रकारः लैंड एरिया, बिल्ट–अप एरिया, एरिया मापः संपत्ति का क्षेत्रफलः 2700.00, 3227.00, 4036.00	13/08/26 **दिनांक 04/09/2026 तक कुल बकाया राशि :** रु. 64,40,819.40/– (चौंसठ लाख चालीस हजार आठ सौ उन्नीस रुपये और चालीस पैसे मात्र)	रु. 1,18,35,000.0/– (एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) **धरोहर राशि जमा (ईएमडी):** रु. 11,83,500.00/– (ग्यारह लाख तिरासी हजार पांच सौ रुपये मात्र)	13/11/2026 11:00 बजे से 14:00 बजे तक **ईएमडी की अंतिम तिथिः**16/11/2026 शाम 5 बजे तक **ई–नीलामी की तिथि/समयः** 18/11/2026 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

भुगतान का तरीकाः ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। भुगतान करने के लिए, आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग–अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष राशि के भुगतान के लिए https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount पर क्लिक करें।

नियम और शर्तें

1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के साथ अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना आवश्यक है और एक लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी से पहले ईएमडी का भुगतान जमा करना होगा। भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई–टेंडर फॉर्म/बोली फॉर्म (ई–साइन) जमा करना आवश्यक है।
2. बोलीदाता को अपनी बोली "बोली वृद्धि राशि" के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में बढ़ानी होगी। यदि नीलामी की समाप्ति से 5 मिनट पहले कोई बोली लगाई जाती है, तो नीलामी का समापन समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को 25% बोली राशि (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी तथा शेष 75% बोली राशि, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी भुगतान निर्धारित भुगतान मोड में ही किए जाने चाहिए।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, फीस और कोई भी अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, भूमि के हस्तांतरण से जुड़ी लागतें और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन–देन / भुगतान पर लागू टीडीएस का भुगतान करना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र आईआईएफएल– एचएफएल को प्रस्तुत करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों व शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com को ध्यान से पढ़ लें।
7. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता के ईमेल आईडीः care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबरः 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 09:30 बजे से शाम 18:00 बजे तक आईआईएफएल एचएफएल के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेलः care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल इन परिस्थितियों में किसी भी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अलावा ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त सामानों को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/ नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी चरण में भुगतान में चूक करने की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी, और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ के पास बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद के मामले में, आईआईएफएल–– एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना

उधारकताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया शेष रहता है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थानःगौतम बुद्ध नगर; दिनांकः 06–10–2026 हस्ता./ः अधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. के लिए